

हुम या कायवाही मय इनिशियल्स जल

गुमन संख्या ... 90/2012(114/2009).....

अन्तगत धारा ... 88,188 आरटी0ए

श्रीमति राधा

बनम

नारायणल अन्य

नम्बर व तारिख
अहकम जो इस
हुम की तामिल में
जायी हुए

पेश हुई। वादी श्री नौरतमल जैन ने दिनांक 27.04.2017 को न्यायालय के समक्ष आवदन पत्र बाबत वादीगण की ओर से हिदायत नहीं होने बाबत का कर निवेदन किया कि वादीगण लंबे समय से अधिवक्ता के समर्क में नहीं रहे है। तथा सिद्ध पुत्र हलू के द्वारा उनसे बाद पत्रावली भी दिनांक 25.06.2015 को ले गये है जिनके द्वारा वादी भागवन्द व शंकर को रजिस्टर्ड एंटी 10 पत्र दिनांक 06.04.2017 एवं 15.04.2017 को प्रेषित किया जाना अवगत कराया है जिनकी प्रति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत की गई है। इस कारण वादीगण की ओर से No Instruction हेतु आवदन प्रस्तुत किया गया है। जिन्हें प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र No Instruction स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मूल वादीगण भागवन्द व हलू की ओर से न्यायालय में अधिवक्ता मोहम्मद अयूब द्वारा अपना वकालतनामा भी दिनांक 27.04.2017 को प्रस्तुत किया गया है। जिन्हें सिन सिन समय में तीन बार आवार्ज दिलाई गई। जो न्यायालय के समक्ष साथ 6.00 पर भी उपस्थित नहीं आये। अतः वादी/अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण में पेशी नहीं किये जाने के कारण वादीगण का बाद अदम हाजरी/अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल हुमर होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर गुम
अजमेर

Handwritten signature